मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2024

का.आ. 1817.—केंद्र सरकार,पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम,1960 (1960 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 उप-खंड(ii) में प्रकाशित दिनांक 15.05.2023 की अधिसूचना का.आ. 2222 (अ) को प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थातु: -

- (1) उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 18 पर दिए गए नाम को 'विलोपित' माना जाए।
- (2) इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार, डा. अभिजीत मित्रा, पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है।
- (3) इसके अलावा, केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 15 मई, 2023 को जारी का.आ. 2222 (अ) के द्वारा जारी अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक वैध रहेगी।

[फा.सं. वी-11/18/2019-प्रशा.-6]

अनामिका निगम, अवर सचिव

नोट: भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित पूर्व अधिसूचना का.आ. 2222 (अ) भारत के राजपत्र में दिनांक 15 मई, 2023 को प्रकाशित हुई थी और जिसे का.आ.2353(अ) दिनांक 22 मई, 2023 और का.आ. 3911(अ) दिनांक 01 सितंबर, 2023 के द्वारा आगे और संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 19th September, 2024

- **S.O. 1817.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby amends the notification S.O. 2222(E) dated 15.05.2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 sub-section(ii) by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying with immediate effect from the date of publication, namely:-
- (1) In the said notification, name at Serial No. 18 may be treated as "deleted".
- (2) Further, the Central Government nominates Dr. Abhijit Mitra, Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying as Chairman of the Animal Welfare Board of India.
- (3) Further, the notification is issued by the Central Government S.O. 2222(E) dated 15th May, 2023 shall be valid for three years from the date of notification.

[F. No. V-11/18/2019-Admin 6]

ANAMIKA NIGAM, Under Secy.

Note: The earlier notification regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India were published in the Gazette of India vide number S.O. 2222(E) dated 15th May, 2023 and further amended vide S.O. 2353(E) dated 22nd May, 2023 and S.O. 3911(E) dated 01st September,2023.